

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकान जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>3-7-24</p> <p>26<sup>7</sup>/<sub>24</sub></p>	<p>बाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 26.7.24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>पत्रावली पेश हुई, तकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी गण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पठ किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कक रोक कर आवाणे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश। किये जाते है तकील प्रार्थी का शां पठ स्वीकार किया जाकर निरर्थक प्रथक से लिखा जाकर शां पठ किया गया। पत्रावली फासल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	

अधिकारी के द्वारा  
अनुमोदन किया है  
हस्ताक्षर की आवश्यकता  
नहीं है

राज्यपाल - सरकार

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भोजपाड़ा

पीतापीय अधिकारी - माण्डल कार्यालय

मुकदमा संख्या - 255/24 प्राण्डल

श्री रामचन्द्र 2/6 श्री शौन, ल. जाट निवासी - प्रकलिंगपुरा तहसील

बनाम

श्री जगन्ना 2/6 तुलसीराम जाट निवासी - प्रकलिंगपुरा तहसील - माण्डल (सी.ए.)  
[प्रकलिंग, त. जगन्ना राजा]

प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मु.स.अ.वि. 1956

दिनांक - 26.7.24

आदेश

प्राथी की ओर से एक प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मु.स.अ.वि. 1956 के सहित प्रस्तुत कर विवेक विभाग को प्राप्त प्रकलिंगपुरा तहसील माण्डल में चसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1781/198 कुल किता 01 एकका 0.2529 हेक्टर पर विवाद है। वादप्रस्ताव में विपक्षीय को मध्य आराजी मुतवाविवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आगे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो रहा है। जिसमें प्राथी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पंथरगद्दी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत प्राथमिक पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.07.24 को पंजीबद्ध किया जाकर पंथरगद्दी जवलीकनाथ से यह बात सिद्ध है कि वादप्रस्ताव भूमि प्राथी एवं चको कारत कारत की होने से पंथरगद्दी कराने की प्रतिकारी है। ऐसे में इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए वैसागिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर रवीकार योग्य है।

आदेश:

प्राथी को प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मु.स.अ.वि. 1956 का रवीकार किया जाकर पंथरगद्दी तहसील माण्डल में चसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1781/198 कुल किता 01 एकका 0.2529 हेक्टर पर भूमि के चारी तरह सीमा को पुराना जलकारी किये जाने हेतु पंथरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पंथरगद्दी किये जाने हेतु भू-अवलोकन निरीक्षण कर 500 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पंथरगद्दी की मीथुदगी में गीक 1 कल की यथास्थिति की बनाये रखते हुए मुक्तकील विष्णु को आधार मानकर पंथरगद्दी की जाये। फराल नहीं होने पर पंथरगद्दी नहीं की जाये।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भोजपाड़ा

प्रतिनिधि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा शशि जमा कराने पर विद्यालुता तहसीलदार को जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भोजपाड़ा